न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक : /2017

रा/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3312 अवतार सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी–ग्राम बड़ा गावं, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.)

——आवेदक

विरूद्ध

पदियां अहिरवार पुत्र कुलुआ अहिरवार निवास–ग्राम बड़ा गावं, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.)

——अनावेदक

दिनांक 14.9.17 को श्री यू.के. प्रसं चौहान अधि० द्वारा प्रस्तुत। 14.9.17

CR 25. 14.09.17

<u>निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्रं. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश 31/07/2017, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगांव छतरपुर (म.प्र.)</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, आवेदक द्वारा यह निगरानी आवेदन निम्नलिखित तथ्यों के साथ प्रकरण कमांक 93/अपील/2013–14 उनवान पदियां अहिरवार बनाम दीनदयाल अहिरवार व अन्य में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/07/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है। आवेदक ऊपर दर्शायी अपील में अनावेदक कमांक 5 है।

2. यह कि, प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि– न्यायालय नायब तहसीलदार नौगांव, जिला छतरपुर के द्वारा बंटवारा प्रकरण कमांक 9/अ–27/09–10 उनवान पदिया बनाम दीनदयाल अहिरवार एवं अन्य में आदेश दिनांक 30/07/2010 समस्त हिस्सेदारों के मध्य विधिवत् विवादित स्थल पर जाकर तत्कालीन पटवारी हल्का बडागांव,

Rohit/f/su.

Adv

3

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक / निगरानी / छतरपुर / भू0रा0 / 2017 / 3312

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.10.2017	आवेदक अधिवक्ता श्री यू.के.एस. चौहान उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रचलनशीलता के संबंध में की गई आपत्ति को माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत 1987 आर.एन. 187 में प्रतिपादित सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त किया गया है। उक्त न्याय दृष्टांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई न्यायिक त्रुटि प्राप्त नहीं होती है। परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	